

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक

संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....1044...../श्री राजेन्द्र चौबे, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2013-14 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए मोतिहारी में पदस्थापित किया जाता है।

2. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....1045...../श्री परमानंद मोर्य, सब जज, गोपालगंज को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2015-16 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए बेगुसराय में पदस्थापित किया जाता है।

3. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....1046...../श्री विद्या सागर पांडेय, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2015-16 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए पूर्णियाँ में पदस्थापित किया जाता है।

4. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....1047...../श्री विनय कुमार मिश्रा, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2015-16 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए भागलपुर में पदस्थापित किया जाता है।

5. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....1048...../श्री दीनानाथ सिंह, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2015-16 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए रोहतास, सासाराम में पदस्थापित किया जाता है।

6. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....1049...../श्री सारंगधर उपाध्याय, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सुपौल को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2015-16 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए कटिहार में पदस्थापित किया जाता है।

7. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0.....1050...../श्री उमा कांत यादव, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2015-16 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए मधुबनी में पदस्थापित किया जाता है।

8. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...1051...../श्री राधे श्याम शुक्ला, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2015-16 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया जाता है।
9. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...1052...../श्री वीरेन्द्र कुमार, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधेपुरा को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2015-16 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया जाता है।
10. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...1053...../श्री चंद्र मोहन झा, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगुसराय को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2015-16 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए सहरसा में पदस्थापित किया जाता है।
11. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...1054...../श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2015-16 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए समस्तीपुर में पदस्थापित किया जाता है।
12. संख्या-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0...1055...../श्री लाल बहादुर सिंह, सब जज-सह-मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, खगड़िया को 65 प्रतिशत कोटा वर्ष 2015-16 के प्रोन्नति से भरे जाने हेतु कर्णांकित पद पर, पद ग्रहण की तिथि से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियमित प्रोन्नति देते हुए सीतामढ़ी में पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0 ...1055...../ पटना-15, दिनांक 22-1-17
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग,
बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था01-3-09/2008सा0प्र0 1055 / पटना-15, दिनांक 22-1-17

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-71703 दिनांक 29.10.2016 एवं पत्रांक-70747 दिनांक 11.12.2015 के प्रसंग में/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2017 में मद संख्या-8 के प्रसंग में अनुपालन प्रतिवदेन/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबंधित सभी प्रोन्नत न्यायिक पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित सभी प्रोन्नत न्यायिक पदाधिकारियों को निदेश है कि प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण हेतु विकल्प मौलिक नियमावली के नियम-FR-22 के तहत एक माह के अन्दर समर्पित करें अन्यथा प्रोन्नति की तिथि को नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा।

सरकार के उप सचिव।